न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः **16/2024** दायर दिनाँक **02.09.2024**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1.महिपालसिंह शेखावत पुत्र धनश्याम सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी इरणिया पोस्ट मुण्डीयास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान।	**बनाम**	1. उदाराम पुत्र डावाराम जाति माली निवासी मोहनदास बास डीडवाना 2. रेखाराम पुत्र डावाराम जाति माली निवासी मोहनदास बास डीडवाना 3. रामेश्वर लाल पुत्र डावाराम जाति माली निवासी मोहनदास बास डीडवाना 4. खुर्शीदा पत्नी जहांगीर कुरैशी जाति मुस्लमान, निवासी डीडवाना 5. मकसूदा पत्नी सलीम कुरैशी जाति मुस्लमान, निवासी डीडवाना 6. रजियाकुरैशी पत्नी अब्दूल नासिर कुरैशी जाति मुस्लमान, निवासी डीडवाना 7. शान्ति शर्मा पत्नी शिवकुमार जाति ब्राह्मण निवासी जांगिड भवन के पीछे गणपति नगर डीडवाना 8. संजय शिखवाल पुत्र दिनेशकुमार जाति ब्राह्मण निवासी बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन 9. तहसीलदार डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत धारा—251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री नागपालसिंह वकील प्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **23.09.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:28 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना [illegible] प्रकार है कि प्रार्थी का खरीदसुदा/खातेदारीसुदा खेत [illegible] 474 रकबा 2.2800 हैक्टे0, सरहद डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना तहसील [illegible] में अवस्थित है। [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खसरा संख्या 474 रकबा 2.2800 है. मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। उक्त खसरा मे वर्तमान मे प्रार्थी के खेत तक पहुचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खाता संख्या 84 खेत खसरा संख्या 490 रकबा 4.9450 है. में से नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– रीडर/2024/41 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 274 में आवागमन हेतु सबसे नजदीक लगने वाला कटाणी रास्ता खसरा संख्या 496 खसरा संख्या 490 से होकर लगता है। जो नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी दर्शित है। जिसकी लम्बाई 250 फिट है तथा चौडाई 30 फिट कुल क्षैत्रफल 250×30 = 7500 वर्गफुट है। प्रार्थी को खेत खसरा संख्या 474 रकबा 2.88 में आवागमन हेतु 30 फुट चौडे रास्ते की आवाश्यकता है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा न ही रास्ता खसरा संख्या 496 से कोई नजदीकी कटाणी रास्ता है। खसरा संख्या 490 के खातेदारो द्वारा जहां प्रार्थी ने रास्ता चाहा है उस स्थान पर 30 फिट चौडा रास्ता एक दुसरे के आवागमन हेतु छोड रखा है। खसरा संख्या 490 के सह खातेदार उदाराम व रजिया कुरेशी के पति अब्दुल नासीर व शान्ती शर्मा के पुत्र हेमन्त शर्मा ने मौके पर उपस्थित होकर बिना किसी प्रकार का शुल्क लिए बिना रास्ता बनाने में सहमती व्यक्त की गई है। तथा पूर्व में सहमती स्टाम्प पर लिखकर दी गई है।

प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 490 में से रास्ता चाहा गया था। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 490 के सह खातेदार उदाराम व रजिया कुरेशी के पति अब्दुल नासीर व शान्ती शर्मा के पुत्र हेमन्त शर्मा ने मौके पर उपस्थित होकर बिना किसी प्रकार का शुल्क लिए बिना रास्ता बनाने में सहमती व्यक्त की गई है। तथा पूर्व में सहमती स्टाम्प पर लिखकर दी गई है। रेकर्ड को दौरान के अवलोकन पाया गया कि उदाराम पुत्र डावाराम जाति माली निवासी मोहनदास बास तहसील डीडवाना एवं प्रार्थी के मध्य दिनांक 14.08.2024 को सहमति पत्र वास्ते रास्ता एवं इकरारनामा बाबत रास्ता सम्पादित किया गया। प्रार्थी द्वारा सम्पादित किये गये इकरारनामा बाबत रास्ता बताया गया है कि प्रथम पक्षकार उदाराम पुत्र डावाराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 490 रकबा 4.94 है. में से अपने हिस्से की भूमि को भुखण्डों में विभक्त कर बैचाण किया है जिसमें से मुझ प्रथम पक्षकार ने आप द्वितीय पक्षकार श्री महिपाल सिंह शेखावत को अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 2.28 हैक्टेयर में आने [illegible] लिए खेत खसरा संख्या 470 के चिपते उत्तर में 30 फिट चौडा व 205 फिट [illegible] संख्या 2, 26 व 27 के दक्षिण में, पूर्व में डीडवाना से थान जाने वाले [illegible] से मिलान होते हुए,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

पश्चिम में खसरा संख्या 474 की भूमि में आने–जाने के लिए, रास्ता (कुल 6150 वर्ग फिट भूमि) के बदले आप द्वितिय पक्षकार से 1,00,000 नकद प्राप्त कर लिए है अर्थात् उक्त रास्ते को मैं प्रथम पक्षकार आप द्वितिय पक्षकार को विक्रय कर दिया है। यदि भविष्य में उक्त रास्ते का आप द्वितिय पक्षकार राज्य सरकार को समर्पित करवाना चाहेंगे तो मैं प्रथम पक्षकार रास्ता समर्पित करवाने के लिए बाध्य रहूंगा।

सरहद डीडवाना के खसरा नम्बर 474 क्षेत्रफल 2.2800 है. में आवागमन हेतु समीपवर्ती खसरा नम्बर 490 में से 30 फुट चौडा रास्ता प्राप्त करने की प्रार्थी इस्तदुआ कर रहा है। खसरा नम्बर 474 के 1/2 भाग का प्रार्थी खातेदार है तथा 1/2 भाग अजीतसिंह पुत्र किशोरसिंह के नाम दर्ज है। उक्त खसरा की भूमि संयुक्त खातेदारी की है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसके अन्य सहखातेदार अजीतसिंह के द्वारा रास्ता प्राप्त करने की इस्तदुआ नही की गई है न ही उक्त सह खातेदार पक्षकार मुकदमा है। अविभाजित भूमि में केवल मात्र एक खातेदार के द्वारा रास्ता की मांग की गई है जो यह दर्शाता है कि अन्य सहखातेदार को रास्ते की नितान्त आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी केवल मात्र अपनी सुविधा के लिए रास्ते की मांग कर रहा है। प्रश्नगत भमि में प्रार्थी का कौनसा हिस्सा है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 A के तहत रास्ते की नितान्त आवश्यकता होने पर ही नवीन रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण का अवलोकन से एक सहखातेदार को रास्ते की आवश्यकता होना तथा दुसरे सहखातेदार को आवश्यकता नहीं होना पुष्ट हो रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 A के तहत रास्ता प्राप्त करने शर्तो की पूर्ति नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में एक सह खातेदार की सुविधा के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत /विधिसम्मत नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रार्थी तथा रास्ते की मांग की जाने वाले खसरा नम्बर 490 के सहखातेदारन के मध्य समझौता/सहमति पत्र लिखे गए है, उनमें रास्ता की भूमि का विक्रय किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। समझौता/इकरारनामा के जरिये खरीद की गई भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 A के तहत रास्ता के रूप में अंकन करने के प्रावधान नहीं है। चुंकि प्रार्थी आवेदित भूमि को इकरारनामा/समझौता पत्र के द्वारा पूर्व में ही खरीद कर चुका है इसलिए न्यायालय में हस्तगत प्रकरण पेश करने का कोई Cause of action ही उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रकरण बिना Cause of action उत्पन्न हुए तथा सुविधा के लिए रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का हस्तगत प्रकरण खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्यों खसरा संख्या 474 व 490 सरहद डीडवाना में प्लॉटिंग/अकृषि उपयोग होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में बिना रूपान्तरण कराए कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किए जाने पर खातेदारान के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:28 IST
Reason: SelfAttested

vikas

उपखण्ड अधिकारी

—:: आदेश ::—

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 A के तहत सरहद डीडवाना के खसरा नम्बर 474 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 490 में से 30 फुट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 490 व 474 की भूमि का अकृषि उपयोग किए जाना प्रमाणित होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों तहत खातेदारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.[illegible].2025 को सरे इजलास, में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना